भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2289

सोमवार, 02 दिसंबर, 2019/11 अग्रहायण, 1941 (शक)

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना

2289. श्री एन. रेड्डप्प:

डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत वर्ष 2019-20 में पच्चीस लाख और वर्ष 2023-2024 तक दो करोड़ उपभोक्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य रक्षा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक इसमें क्या प्रगति हुई है और कैसी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है;

(ख) छोटे व्यापारियों को अब तक प्रदत्त पेंशन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस हेतु अब तक निर्धारित लक्ष्यों/उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): व्यापारियों, दुकानदारों और स्व-नियोजित व्यक्तियों (मूल नाम प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना प्रस्तावित था) के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना का शुभांरभ 12.09.2019 को किया गया। यह स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है। इस स्कीम में देश भर में फैले 3.50 लाख सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) के नेटवर्क के माध्यम से नामांकन किया जाता है। इसके अलावा पात्र व्यक्ति अपना नामांकन स्वयं www.maandhan.in पोर्टल के माध्यम से भी कर सकते हैं। 18-40 वर्ष के आयु समूह के वे व्यापारी जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन/कर्मचारी राज्य बीमा निगम/राष्ट्रीय पेंशन स्कीम और पीएम-एसवाईएम के सदस्य और आयकरदाता नहीं हैं, इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 50% मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा अंशदान देय होता है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समान अंशदान का भुगतान किया जाता है। अभिदाता, 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद, 3000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन के पात्र बन जाते हैं। चूंकि यह स्कीम 12 सितंबर, 2019 को शुरू की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत 2019-20 में लगभग 50 लाख नामांकनों के कवरेज की परिकल्पना की गई है। इसे प्राप्त करने के लिए पेंशन सप्ताह के आयोजन सहित विभिन्न उपाय किए गए हैं। इस स्कीम को अधिक लोकप्रिय बनाने और इसके बारे में अधिक जागरुकता लाने के लिए सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से अनुरोध किया गया है। मिशन मोड के अंतर्गत पहल करने के लिए इस स्कीम की समीक्षा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के साथ वरिष्ठ स्तर पर मंत्रालय में नियमित रूप से की जा रही है।

****